अध्याय-10

राज्य सभा का राजनैतिक स्वरूप

सभापति का निदेश

राज्य सभा में राजनैतिक दलों और समूहों को उनके संसदीय कार्यकरण के लिए जिन सामान्य सिद्धांतों के आधार पर मान्यता दी जा सकती है उन्हें 1980 में सभापति द्वारा नियम 266 के अनुसरण में जारी किए गए निम्नलिखित निदेश में निर्धारित किया गया है:

(1) सभापति सभा में कार्यकरण के प्रयोजन के लिए संसदीय दल या संसदीय समूह के रूप में सदस्यों के किसी संघ को मान्यता दे सकता है और इस विषय में उसका निर्णय अंतिम होगा।

(2) किसी संसदीय दल या संसदीय समूह को मान्यता देने में सभापति निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार करेगा:

(i) सदस्यों का जो संघ किसी संसदीय दल को गठित करने का प्रस्ताव करता है —

(क) उसकी ऐसी विशिष्ट विचारधारा और संसदीय-कार्य का ऐसा सामान्य कार्यक्रम होगा जिसके आधार पर उसके सदस्य निर्वाचित हुए हैं;

(ख) उसका सभा के भीतर और साथ ही बाहर भी एक संगठन होगा; और

(ग) उसकी सदस्य-संख्या सभा की किसी बैठक के होने के लिए निर्धारित गणपूर्ति अर्थात् सभा के सदस्यों की कुल संख्या के दसवें भाग के बराबर होगी।

(ii) किसी संसदीय समूह का गठन करने के लिए सदस्यों का कोई संघ खंड (i) के भाग (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करेगा और उसके सदस्यों की संख्या कम से कम 15 होगी।[1]

यद्यपि 1980 तक किसी राजनैतिक दल को मान्यता देने के लिए सभापति द्वारा इस प्रकार का कोई निदेश नहीं दिया गया था, तथापि राज्य सभा में सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए उपरोक्त निदेश में निहित सिद्धांतों का अनुसरण होता रहा था। उदाहरण के लिए यद्यपि राज्य सभा के आरंभ से ही उसमें विपक्ष में बैठने वाले 'दल' थे तथापि उन्हें 'दलों' के रूप में नहीं बल्कि 'समूहों' के रूप में मान्यता दी गई थी क्योंकि उनकी सदस्य-संख्या सदन की गणपूर्ति से कम थी और 1969 में कांग्रेस का विभाजन होने तक विपक्ष के दलों और विपक्ष के नेता को इस प्रकार मान्यता नहीं दी गई थी। कांग्रेस का जब यह विभाजन हुआ तो उसमें से पहली बार सदस्यों का एक समूह टूटकर निकला जो विरोधी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उक्त निदेश में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करता था और इसलिए इस समूह को विरोधी दल के रूप में मान्यता दी गई। बाद के मामलों में भी किसी दल को मान्यता प्रदान करने के लिए इन्हीं मानदंडों का अनुसरण किया गया।

जब उपरोक्त निदेश का मुद्दा विचाराधीन था तब संसद् में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 की धारा 2 के संदर्भ में इस प्रश्न पर विचार किया गया कि क्या इस प्रकार का निदेश उस धारा के उपबंधों के विरुद्ध जा सकता है। 1977 के अधिनियम में और प्रक्रिया विषयक नियमों में 'दल' की परिभाषा नहीं की गई थी। अत: यह तर्क प्रस्तुत किया जा सकता था कि सांविधिक प्राधिकार के अभाव में यह पीठासीन अधिकारी की शक्तियों के बाहर है कि वह उस प्रकार से किसी दल को मान्यता प्रदान करे जिस प्रकार से उक्त निदेश चाहता था और यह भी तर्क दिया जा सकता था कि पीठासीन अधिकारी 1977 के अधिनियम के अनुसार सभा के ऐसे सदस्य को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए बाध्य है जो सरकार के विपक्ष में बैठने वाले ऐसे दल के नेता हैं जिसकी सदस्य-संख्या सदन की गणपूर्ति के बराबर न होने पर भी सबसे अधिक है। इस तर्क का खंडन यह कहकर किया गया कि यदि इस तर्क को उसकी तार्किक परिणति तक ले जाया जाएगा तो उसका अर्थ यह होगा कि किसी विरोधी दल में सिर्फ दो सदस्य होने पर भी—जबकि विपक्ष में सिर्फ बैठने वाले अन्य सदस्य निर्दलीय सदस्य होंगे—पीठासीन अधिकारी को 1977 के अधिनियम के प्रयोजन के लिए इस दो सदस्यों वाले दल के नेता को मान्यता देनी होगी जो स्पष्टत: एक अमान्य तर्क है। गणपूर्ति का मानदंड इस सुस्थापित संसदीय सिद्धांत पर आधारित है कि विपक्षी दल की सदस्य-संख्या इतनी होनी चाहिए कि वह वैकल्पिक सरकार बना सके या कम से कम कार्य के निष्पादन के लिए समुचित उपस्थिति दर्ज कर सके। अत:, यह अनुभव किया गया कि यद्यपि 'दल' शब्द की परिभाषा नहीं की गई है तथा 1977 का अधिनियम पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी दल/समूह को मान्यता देने के संबंध में मानदंडों को निर्धारित करने का निषेध नहीं करता और न उसे ऐसा करने से रोकता है। इस संबंध में विधि मंत्रालय से अनौपचारिक रूप से परामर्श किया गया था और वह इस विचार से सहमत था।[2]

कतिपय मामलों में सदस्यों के किसी संघ की सदस्य-संख्या पंद्रह से कम होने पर भी उसे सभापति के आदेश से औपचारिक मान्यता न देकर सभा में कार्यकरण के सीमित प्रयोजन के लिए समूह का नाम दिया जा सकता है। सामान्य प्रथा यह है कि जिस समूह की सदस्य-संख्या पांच या उससे अधिक है उसे सभा में कार्य करने के लिए एक संसदीय समूह के रूप में मान्यता दी जाती है। विभिन्न राजनैतिक दलों के सदस्यों को और असम्बद्ध सदस्यों को, जो कोई विशिष्ट नाम वाले संघ का गठन करते हैं, सभा में कार्य करने के लिए अर्थात् वाद-विवाद में भाग लेने के लिए समय के आवंटन और सभा में साथ-साथ लगने वाली सीटों के आवंटन के लिए संसदीय-समूह की संज्ञा दी जा सकती है।

1983 में विभिन्न राजनैतिक दलों के बाइस सदस्यों ने एक ''यूनाइटेड एसोसिएशन ऑफ मेम्बर्स (यू०ए०एम०)'' का गठन किया जिसे मान्यता प्रदान की गई।[3] 1990 में विभिन्न राजनैतिक दलों के छह सदस्यों ने एक ''यूनाइटेड पार्लियामैंटरी ग्रुप (यू०पी०जी०)'' का गठन किया।[4] बाद में इस ग्रुप की सदस्य-संख्या में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा।

मान्यता प्राप्त करने के लिए सभी संबंधित सदस्यों को अपने-अपने हस्ताक्षर सहित सभापति के समक्ष औपचारिक रूप से निवेदन करना पड़ता है।

संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन किसी राजनैतिक दल की सदस्यता

संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985, 1 मार्च, 1985 से लागू हुआ था। इसमें किसी राजनैतिक दल की सदस्यता से संबंधित कई उपबंध हैं। यदि किसी राजनैतिक दल का निर्वाचित या नाम-निर्देशित सदस्य उस राजनैतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है तो वह सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित हो जाता है।[5] कोई नामनिर्देशित सदस्य सदन में अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से छह महीने की समाप्ति से पूर्व किसी राजनैतिक दल में शामिल हो सकता है। यदि वह उस अवधि के बाद किसी दल में शामिल होता है या निर्धारित अवधि के भीतर सदस्य बनने पर बाद में अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है तो वह निरर्हित

हो जाता है।[6] यदि कोई निर्दलीय सदस्य (अर्थात् एक सदस्य जो किसी राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार से भिन्न रूप में सदस्य निर्वाचित हुआ है।) ऐसे निर्वाचन के बाद किसी राजनैतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह निरर्हित हो जाता है।[7]

निरर्हता का उपबंध उस दशा में लागू नहीं होता जहां सदन का कोई सदस्य यह दावा करता है कि उसके मूल राजनैतिक दल में विभाजन हो गया है और ऐसे विभाजन के फलस्वरूप जो गुट अस्तित्व में आया है उसकी सदस्य-संख्या विधान-दल के एक-तिहाई सदस्यों से कम नहीं है। संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 के द्वारा दसवीं अनुसूची में संशोधन किए जाने के बाद अनुसूची के पैरा 3 में अंतर्विष्ट यह उपबंध हटा दिया गया है।[8]

निरर्हता का उपबंध उस दशा में लागू नहीं होता जहां किसी सदस्य के मूल राजनैतिक दल का किसी अन्य राजनैतिक दल के साथ विलय हो जाता है और सदस्य ऐसे अन्य राजनैतिक दल के या ऐसे विलय से बने नए राजनैतिक दल का सदस्य बन गया है बशर्ते उस समूह की सदस्य-संख्या, जिसका विलय हुआ है, मूल विधान-दल के सदस्यों के दो-तिहाई से कम न हो।[9] यदि सदस्य यह दावा करता है कि उसने या उसके मूल राजनैतिक दल के सदस्यों ने विलय स्वीकार नहीं किया है और एक पृथक् समूह के रूप में कार्य करने का विनिश्चय किया है तो वह और ऐसे अन्य सदस्य निरर्हित नहीं होते।[10]

संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 ने संविधान में एक नया अनुच्छेद 361ख भी अंत:स्थापित किया है जो यह उपबंध करता है कि ऐसा सदस्य, जिसे दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के तहत सभा का सदस्य होने देने से निरर्हित किया गया हो, को उसकी निरर्हता की तारीख के आरंभ होने से ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होने की तारीख तक अथवा सभा में निर्वाचन के लिए लड़ने से निर्वाचित घोषित होने तक की तारीख तक, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए कोई लाभप्रद राजनीतिक पद धारण करने से भी निरर्हित किया जाएगा।[11]

भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत राज्य सभा में पिछले कुछ वर्षों में निम्नलिखित मामले घटित हुए हैं:—

निरर्हता

वर्ष 1989 में, मुफ्ती मोहम्मद सईद, जोकि जम्मू और कश्मीर राज्य से राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य थे, भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(क) के संदर्भ में अपने मूल राजनीतिक दल, कांग्रेस (आई) की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ने के कारण राज्य सभा का सदस्य बनने से निरर्हित हुए।[12]

उसी वर्ष श्री सत्यपाल मलिक, जोकि उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य थे, अपने मूल राजनीतिक दल, कांग्रेस (आई) की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ने के कारण राज्य सभा का सदस्य बनने से निरर्हित हुए।[13]

विलय

वर्ष 1986 में कांग्रेस (एस) पार्टी, जिसके सभा में 2 सदस्य थे, का संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 4 के संदर्भ में कांग्रेस (आई) पार्टी के साथ विलय हुआ।[14]

वर्ष 1988 में जनता (जी), जिसका सभा में एक सदस्य था और लोक दल (ए) पार्टी, जिसके सभा में 4 सदस्य थे, का विलय हुआ और राज्य सभा में जनता पार्टी के नाम से एक नई पार्टी का गठन हुआ।[15]

वर्ष 1989 में जनता पार्टी, जिसके सदस्यों की संख्या 17 थी और लोक दल, जिसके सदस्यों की संख्या सभा में 5 थी, का विलय हुआ और राज्य सभा में जनता दल नामक नई पार्टी का गठन हुआ।[16]

वर्ष 1990 में श्री एम॰ विंसेंट, जोकि ए॰आई॰ए॰डी॰एम॰के॰–I के एकमात्र सदस्य थे, ने राज्य सभा में ए॰आई॰ए॰डी॰एम॰के॰–II पार्टी के साथ अपनी पार्टी का विलय किया।[17]

वर्ष 1991 में, श्री थॉमस कुथिरावत्तम, जोकि केरल कांग्रेस पार्टी के एकमात्र सदस्य थे, ने राज्य सभा में जनता दल (एस) पार्टी के साथ अपनी पार्टी का विलय किया।[18]

वर्ष 1992 में कुमारी चंद्रिका प्रेमजी केनिया, जोकि शिव सेना पार्टी (छगन भुजबल दल) की एकमात्र सदस्या थीं, ने राज्य सभा में कांग्रेस (आई) पार्टी के साथ अपनी पार्टी का विलय किया।[19]

वर्ष 1992 में श्री डेविड लेजर, जोकि नूतन असम गण परिषद् के एकमात्र सदस्य थे, ने राज्य सभा में कांग्रेस (आई) पार्टी के साथ अपनी पार्टी का विलय किया।[20]

वर्ष 1996 में श्रीमती रेणुका चौधरी, जोकि तेलुगु देशम पार्टी–II की एकमात्र सदस्या थीं, ने राज्य सभा में तेलुगु देशम (नायडु) दल के साथ अपनी पार्टी का विलय किया।[21]

वर्ष 1996 में श्री येरा नारायणसामी, जोकि तेलुगु देशम पार्टी–I के एकमात्र सदस्य थे, ने राज्य सभा में तेलुगु देशम (नायडु) दल के साथ अपनी पार्टी का विलय किया।[22]

वर्ष 1998 में राज्य सभा में ए॰आई॰ए॰डी॰एम॰के॰–III दल, जिसके राज्य सभा में दो सदस्य थे, ने राज्य सभा में ए॰आई॰ए॰डी॰एम॰के॰–I दल के साथ विलय किया।[23]

वर्ष 1998 में डा॰ डी॰ वेंकटेश्वर राव, जोकि तेलुगु देशम–I पार्टी के एकमात्र सदस्य थे, ने राज्य सभा में भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी पार्टी का विलय किया।[24]

वर्ष 1999 में श्री सुरेश कलमाडी, जोकि महाराष्ट्र विकास अघाडी पार्टी के एकमात्र सदस्य थे, ने राज्य सभा में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ अपनी पार्टी का विलय किया।[25]

वर्ष 2001 में श्री आर॰ के॰ आनंद, जोकि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के एकमात्र सदस्य थे, ने राज्य सभा में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ अपनी पार्टी का विलय किया।[26]

वर्ष 2003 में तमिल मानिला कांग्रेस (मूपनार) दल, जिसके सभा में दो सदस्य थे, ने राज्य सभा में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ विलय किया।[27]

विभाजन

वर्ष 1988 में ए॰आई॰ए॰डी॰एम॰के॰ पार्टी, जिसके सदस्यों की संख्या सभा में 11 थी, दो गुटों में विभाजित हुई और राज्य सभा के सभापति द्वारा इसे सभा के कार्यकरण के लिए ए॰आई॰ए॰डी॰एम॰के॰–I (पांच सदस्यों की संख्या के साथ) और ए॰आई॰ए॰डी॰एम॰के॰–II (6 सदस्यों की संख्या के साथ) के रूप में पुनः नामित किया गया।[28]

वर्ष 1990 में जनता दल, जिसके सदस्यों की सभा में संख्या 39 थी, में विभाजन हुआ और राज्य सभा के सभापति द्वारा सभा के कार्यकरण के लिए जनता दल (समाजवादी) नामक एक नए गुट को मान्यता दी गई जिसमें 15 सदस्य थे।[29]

वर्ष 1991 में असम गण परिषद् पार्टी, जिसमें चार सदस्य थे, में विभाजन हुआ और राज्य सभा के सभापति द्वारा सभा के कार्यकरण के लिए नूतन असम गण परिषद् नामक नए गुट को मान्यता दी गई जिसमें 2 सदस्य थे।[30]

वर्ष 1992 में जनता पार्टी, जिसमें 2 सदस्य थे, का विभाजन हुआ और राज्य सभा के सभापति द्वारा समाजवादी पार्टी नामक नए गुट को मान्यता दी गई।[31]

वर्ष 1994 में जनता पार्टी (समाजवादी), जिसमें सदस्यों की संख्या 8 थी, का विभाजन हुआ और राज्य सभा के सभापति ने सभा के कार्यकरण के लिए राष्ट्रीय जनता दल नामक नए गुट को मान्यता दी जिसमें तीन सदस्य थे।[32]

वर्ष 1994 में तेलुगु देशम पार्टी, जिसमें सदस्यों की संख्या 3 थी, का विभाजन हुआ और राज्य सभा के सभापति द्वारा सभा के कार्यकरण के लिए प्रत्येक गुट को तेलुगु देशम-I (एक सदस्य श्रीमती रेणुका चौधरी के साथ) और तेलुगु देशम-II (दो सदस्यों के साथ) के रूप में पुनः नामित किया।[33]

वर्ष 1997 में ए॰आई॰ए॰डी॰एम॰के॰ पार्टी, जिसमें 14 सदस्य थे, का विभाजन हुआ और राज्य सभा के सभापति ने सभा के कार्यकरण के लिए प्रत्येक गुट को ए॰आई॰ए॰डी॰एम॰के॰-I और ए॰आई॰ए॰डी॰एम॰के॰-II (प्रत्येक में सात सदस्यों के साथ) के रूप में पुनः नामित किया।[34]

वर्ष 1997 में जनता दल, जिसके सदस्यों की संख्या सभा में 13 थी, का विभाजन हुआ और राज्य सभा के सभापति ने सभा के कार्यकरण के लिए 5 सदस्यों से मिलकर बने राष्ट्रीय जनता दल नामक नए गुट को मान्यता दी।[35]

वर्ष 1997 में ए॰आई॰ए॰डी॰एम॰के॰-II गुट, जिसमें उस समय 5 सदस्य थे, में एक बार पुनः विभाजन हुआ और राज्य सभा के सभापति द्वारा सभा के कार्यकरण के लिए एक नए गुट ए॰आई॰ए॰डी॰एम॰के॰-III को मान्यता दी गई जिसमें 2 सदस्य थे।[36]

वर्ष 1998 में जनता दल, जिसके सदस्यों की संख्या सभा में 13 थी, का विभाजन हुआ और राज्य सभा के सभापति द्वारा सभा के कार्यकरण के लिए बीजू जनता दल नामक नए गुट को मान्यता दी गई जिसमें 5 सदस्य थे।[37]

निष्कासन और उससे किसी सदस्य की स्थिति पर पड़ने वाला प्रभाव

संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है जहां किसी सदस्य को उसके दल द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। जब संविधान (बावनवां संशोधन) विधेयक लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था तब उसमें किसी निष्कासित सदस्य को निरर्हित करने का उपबंध था।[38] किंतु पुनर्विचार करने के बाद यह अनुभव किया गया चूंकि निष्कासन का मामला राजनैतिक मामला है इसलिए उसे प्रस्तावित विधान के दायरे के बाहर रखा जाना चाहिए। इसलिए लोक सभा में विधेयक को पारित करने की अवस्था में इस उपबंध को हटा दिया गया। इस पृष्ठभूमि से यह स्पष्ट हो जाएगा कि निष्कासित सदस्य उस राजनैतिक दल का सदस्य नहीं रहता जिसके द्वारा उसे निर्वाचित किया गया था और सदन में ऐसे सदस्य की स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।

तथापि, अभिलेख के प्रयोजनों के लिए अपने मूल राजनैतिक दलों से निष्कासित किए गए सदस्यों को दलीय संबद्धता से रहित (निर्दलीय) सदस्यों के रूप में दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए, संबंधित दलों

के नेताओं/सचेतकों से प्राप्त पत्रों के आधार पर राज्य सभा के सदस्य श्री प्रणव मुखर्जी,[39] श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह,[40] श्री पर्वतनेनि उपेन्द्र,[41] श्री चिमनभाई मेहता और श्री वी॰ गोपालसामी,[42] जिन्हें अपने मूल राजनैतिक दलों से निष्कासित किया गया था, को राज्य सभा सचिवालय के अभिलेखों में निर्दलीय के रूप में दर्शाया गया था और संबंधित सदस्यों को तद्नुसार सूचित किया गया था। किन्तु लोक दल के तीन सदस्यों (श्री सत्य प्रकाश मालवीय, श्री रशीद मसूद और श्री अजीत सिंह) के मामले में, चूंकि उन्होंने निष्कासन को चुनौती दी थी और दावा किया था कि दल में विभाजन हो गया है, लोक दल के दो गुटों को लोक दल (1) और लोक दल (2) का नाम दिया गया था और सभा में कार्य करने के सीमित प्रयोजन के लिए ही ऐसा किया गया था।[43] परंतु आर॰ जे॰ डी॰ से संबंधित तीन सदस्यों नामत: श्री रंजन प्रसाद यादव, माननीय धम्माविरियो और श्री महेन्द्र प्रसाद के मई, 2001 में निष्कासन के मामले में उन्हें दलीय संबद्धता से रहित सदस्यों के रूप में दर्शाने का निर्णय लिया गया और उन्हें राज्य सभा के अभिलेखों में **''निर्दलीय और अन्य''** शीर्षक के तहत् दर्शाया गया और संबद्ध सदस्यों को तद्नुसार सूचित किया गया था।[44]

कुछ समय पहले महान्यायवादी के समक्ष यह प्रश्न रखा गया कि यदि अपने मूल राजनैतिक दल से निष्कासित होने के फलस्वरूप किसी सदस्य को अध्यक्ष द्वारा ''असम्बद्ध'' घोषित कर दिया जाता है तो क्या ऐसे सदस्य को निरर्हित हुए बिना किसी नए दल का गठन करने या किसी दूसरे दल में सम्मिलित होने की छूट है। महान्यायवादी ने इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया:

> संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम द्वारा जोड़ी गई दसवीं अनुसूची के पैरा 2 में दल-परिवर्तन के कारण निरर्हता के उपबंध किए गए हैं। इनमें से किसी उपबंध में यह नहीं कहा गया कि मूल राजनैतिक दल से निष्कासित होने पर जो सदस्य असम्बद्ध घोषित कर दिया जाता है वह इस तथ्य के होते हुए भी निरर्हित नहीं होता कि उसने एक नया दल गठित कर लिया है या वह किसी अन्य दल में शामिल हो गया है। किन्तु सिर्फ इस आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि ऐसा निष्कासित सदस्य जो किसी नए दल का गठन करता है या किसी अन्य दल में शामिल हो जाता है, संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम के अधीन निरर्हता से ग्रस्त नहीं हुआ है।
>
> यह सच है कि कोई निष्कासित सदस्य उस दल का सदस्य नहीं रहता जिसका वह सदस्य था किंतु यह दलगत अनुशासन के प्रयोजन के लिए है। लोकतंत्र के हित में इस मुद्दे को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। किसी राजनैतिक दल के व्यक्ति में उस दल के प्रति निष्ठा होनी ही चाहिए। वह उस दल के अनुशासन से बंधा हुआ है। यह केवल राजनैतिक या नैतिक बाध्यता की बात नहीं है बल्कि जब तक वह उस दल का सदस्य है तब तक यह सुनिश्चित करना उसका कर्त्तव्य है कि उसके किसी भी कार्य से एक राजनैतिक दल के रूप में उस दल के प्रभावी कार्यकरण पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
>
> यह आवश्यक है कि निरर्हता के उपबंधों का वास्तविक अर्थ देखा जाए। कोई सदस्य दसवीं अनुसूची के पैरा 2 (क) के अधीन संवैधानिक निरर्हता का खतरा उठाए बिना स्वेच्छा से अपने राजनैतिक दल की सदस्यता नहीं छोड़ सकता। संबंधित उपबंधों की इस प्रकार व्याख्या संभव है कि किसी दल से निष्कासित किया गया सदस्य जो निष्कासन का शिकार होते हुए भी अपने मूल राजनैतिक दल की सदस्यता को स्वेच्छा से नहीं छोड़ता उस राजनैतिक दल का सदस्य नहीं बना रह सकता जिससे उसे निष्कासित किया गया है। अत: जब तक वह स्वयं को मूल राजनैतिक दल के विभाजन के दायरे में नहीं ला सकता जिससे ऐसे विधान-मंडल दल के सदस्यों के एक-तिहाई से कम का समूह न बनता हो तब तक वह किसी अन्य दल का सदस्य नहीं हो सकता। अत: यद्यपि वह सदस्य बना रहता है किन्तु असम्बद्ध घोषित किया जाता है तथापि यह निरर्हता से ग्रस्त हुए बिना मूल राजनैतिक दल से निष्कासित होने के आधार पर नया दल नहीं बना सकता या किसी नए दल में शामिल नहीं हो सकता। यदि सदन का कोई निर्वाचित सदस्य जो किसी राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी से

भिन्न रूप में सदस्य निर्वाचित हुआ है अर्थात् जो निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचित हुआ है, ऐसे निर्वाचन के बाद किसी राजनैतिक दल में सम्मिलित हो जाता है, तो वह सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित हो जाता है। ऐसी दशा में किसी राजनैतिक दल से निष्कासित सदस्य की स्थिति किसी निर्दलीय सदस्य की स्थिति से अच्छी नहीं हो सकती। यद्यपि वह इसलिए निरर्हित नहीं होता क्योंकि उसने स्वेच्छा से अपनी सदस्यता नहीं छोड़ी है बल्कि उसे निष्कासित किया गया है, तथापि यदि वह असम्बद्ध सदस्य के रूप में कार्य करते हुए नया दल गठित करता है या किसी दूसरे दल में सम्मिलित होता है तो वह निरर्हित हो जाएगा। तथापि, ऐसा नहीं है कि इस स्थिति का खंडन करने के लिए कोई तर्क दिया ही नहीं जा सकता।''[45]

इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की:

यदि किसी राजनैतिक दल द्वारा अभ्यर्थी के रूप में खड़ा किया गया कोई व्यक्ति सभा के लिए निर्वाचित हो जाता है और उसके बाद वह किसी भी कारण से अन्य राजनैतिक दल में सम्मिलित हो जाता है, तो दल से अपने निष्कासन के कारण अथवा अन्यथा, वह स्वेच्छा से इस राजनैतिक दल की अपनी सदस्यता छोड़ देता है और निरर्हित हो जाता है। उसे ''असंबद्ध'' के रूप में माना जाना दसवीं अनुसूची के बाहर मात्र सुविधा का मामला है और इससे पैरा 2(1) के स्पष्टीकरण के अंतर्गत लिये जाने वाले तथ्य में कोई परिवर्तन नहीं आता। जहां तक दसवीं अनुसूची का संबंध है, इस प्रकार के प्रबंध तथा वर्गीकरण का कोई विधिसम्मत आशय नहीं है। दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1) में दिये गये स्पष्टीकरण के अंतर्गत समझे जाने वाले अर्थ को पूर्णतया प्रभावी बनाना होगा, अन्यथा निष्कासित सदस्य विधि के कठोर नियंत्रण से बच जायेगा, जिसका आशय हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित करने वाली दल बदलने की बुराई को नियंत्रित करना था।

...किसी राजनैतिक दल से संबंधित सदन के किसी सदस्य के संबंध में विधायी दल का उल्लेख करते समय पैरा 1(ख) में पैरा 2, 3 और 4 के उपबंधों का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ, यथास्थिति, उक्त उपबंधों, अर्थात् पैरा 2, 3 और 4 यथा प्रकरण, के अनुसार उस समय के लिए उस राजनैतिक दल से संबंधित उस सभा के सभी सदस्यों के समूह से है। स्पष्टीकरण के साथ पठित पैरा 2(1) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक निर्वाचित सदस्य उस राजनैतिक दल से संबंधित रहेगा, जिसने उसे सदस्य के लिए होने वाले निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी के रूप में खड़ा किया हो। उस दल से निकाले जाने अथवा निष्कासित किये जाने पर भी ऐसा होगा। यह मामला सदस्य तथा उसके दल के बीच का मामला है और इसका दसवीं अनुसूची के अंतर्गत समझे जाने वाले खंड से कोई संबंध नहीं है। एक राजनैतिक दल के सदस्य के रूप में उस दल के आचरण का कोई महत्त्व नहीं है और इससे दसवीं अनुसूची के अंतर्गत विधिक अर्थ का अतिक्रमण नहीं होता।[46]

मान्यता के बाद दी जाने वाली सुविधाएं

किसी संसदीय दल या समूह को कतिपय सुविधाएं दी जाती हैं। सदस्यों के ऐसे संघ को भी जो संसदीय दल या समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने की शर्तें पूरी नहीं करता, कुछ सुविधाएं दी जा सकती हैं।

किसी मान्यता-प्राप्त संसदीय दल को सामान्यत: निम्नलिखित सुविधाएं दी जाती हैं:

(i) दल की सदस्य-संख्या और सदन में उपलब्ध सीटों की कुल संख्या के अनुपात में सदन में सीटों के खंडों (ब्लॉकों) का आवंटन।

(ii) दल/समूह के संसदीय-कार्य के लिए संसद् भवन में स्थान का आवंटन: यह लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।

संसद् भवन में कांग्रेस (आई), लोक दल और डी॰एम॰के॰ के संसदीय दल कार्यालयों को सील किए जाने के बारे में राज्य सभा में कुछ सदस्यों ने एक मुद्दा उठाया। सभापति ने अन्य बातों के साथ यह टिप्पणी की: ''संसद् भवन में स्थान का आवंटन अध्यक्ष के प्राधिकार के अधीन है।'' सभापति ने यह भी कहा कि उन्होंने अध्यक्ष के साथ इस मामले को उठाया है और वे इस मामले में संबंधित सदस्य का पत्र अध्यक्ष को भेज रहे हैं।[47]

(iii) दल की बैठकें आयोजित करने के लिए समिति कक्षों या अन्य उपलब्ध स्थानों का आवंटन: केन्द्रीय कक्ष (सेंट्रल हॉल) और उन समिति कक्षों में स्थान का आवंटन अध्यक्ष द्वारा विनियमित किया जाता है जो लोक सभा सचिवालय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अधीन हैं। राज्य सभा सचिवालय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले समिति कक्षों को संसदीय बैठकों या संसदीय कार्य से संबंधित अन्य बैठकों के लिए दलों/समूहों के लिखित अनुरोध पर उस सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

(iv) संसदीय पत्रों का उपलब्ध कराया जाना: प्रश्नों की सूची, कार्यावलि आदि संसदीय-पत्र नियमित रूप से दलों/समूहों को उपलब्ध किए जाते हैं।

(v) संसदीय समितियों के लिए नामनिर्देशन: संसदीय समितियों के लिए सदस्यों को नामनिर्देशित करने के लिए सदन में दलों के नेताओं से सदस्यों के नाम प्राप्त किए जाते हैं और उन पर सभापति द्वारा विचार किया जाता है। यद्यपि संसदीय समितियों के लिए सदस्यों को नामनिर्देशित करना सभापति का परमाधिकार है तथापि संबंधित नेताओं की सिफारिशें सामान्यत: सभापति द्वारा स्वीकार की जाती हैं। समितियों में दलों/समूहों का प्रतिनिधित्व, जहां सभापति द्वारा सदस्यों को नामनिर्देशित करना होता है, न्यूनाधिक रूप से सदन में दलों/समूहों की अपनी-अपनी सदस्य-संख्या के अनुपात में होता है। जब समितियों को वार्षिक रूप से पुनर्गठित करना होता है तब सामान्यत: सभा के नेता विभिन्न समितियों में स्थानों का आवंटन करने और उनके सभापतियों को नियुक्त करने के बारे में निर्णय करने के लिए विभिन्न दलों/समूहों के नेताओं के साथ अनौपचारिक बैठक करते हैं जिससे सभापति द्वारा नामनिर्देशन की प्रक्रिया सुगम हो जाती है।

(vi) विभिन्न निकायों के लिए नामनिर्देशन: ऐसी कई समितियां, परिषदें, बोर्ड आदि होते हैं जिन्हें सरकार द्वारा गठित किया जाता है। उनमें दोनों सदनों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है। ऐसे निकायों के लिए सदस्यों का नामनिर्देशन सभापति द्वारा संबंधित मंत्री के अनुरोध पर दलों/समूहों के नेताओं के साथ परामर्श करके किया जाता है।

(vii) विदेश जाने वाले संसदीय शिष्टमंडलों के लिए नामनिर्देशन: राज्य सभा के जो सदस्य विदेश जाने वाले किसी शिष्टमंडल में शामिल होते हैं उन्हें सभापति द्वारा संसदीय कार्य मंत्री और राज्य सभा में विपक्षी दलों/समूहों के नेताओं के साथ परामर्श करके चुना जाता है। सामान्यत: शिष्टमंडलों में शामिल किए जाने के लिए सदस्यों का चयन दल-वार और बारी-बारी से किया जाता है और इस प्रयोजन के लिए एक रोस्टर रखा जाता है ताकि सदन में विभिन्न दलों/समूहों के सदस्यों की संख्या के अनुपात में उनके वार्षिक आवंटन के कोटे के बारे में निर्णय किया जा सके।

(viii) वक्ताओं की सूची: सामान्यत: सदन के विचार-विमर्श में भाग लेने वाले वक्ताओं के चयन में दलों/समूहों के नेताओं को वरीयता दी जाती है। नेतागण अपने-अपने दलों/समूहों के सदस्यों के नाम भी देते हैं जिन्हें सभापीठ द्वारा वाद-विवाद में बोलने के लिए बुलाया जा सकता है।

(ix) कार्य की व्यवस्था के बारे में परामर्श: जब भी आवश्यक होता है सभा के समक्ष आने वाले महत्त्वपूर्ण मुद्दों के बारे में दलों/समूहों के नेताओं के साथ परामर्श किया जाता है। सभा में किसी मामले के

कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए भी ऐसा किया जाता है। अनेक अवसरों पर सदन के प्रक्रिया विषयक मामलों के बारे में अनौपचारिक बैठकों में सभापति/उपसभापति ने दलों/समूहों के नेताओं के साथ परामर्श किया है। उदाहरण के लिए:

12 नवम्बर, 1962 को सभापति ने विभिन्न दलों/समूहों के नेताओं के साथ एक बैठक की जिसमें यह निर्णय किया गया कि प्रत्येक बैठक में तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की संख्या प्रति सदस्य पांच तक सीमित कर दी जाए और प्रश्नों के उत्तर के लिए मंत्रालयों के तत्कालीन तीन समूहों (ग्रुपों) की बजाय चार समूह (ग्रुप) बना दिए जाएं।[48] बाद में विभिन्न दलों/समूहों के नेताओं के साथ संसदीय कार्य मंत्री ने एक बैठक की जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय किया गया कि 26 नवम्बर, 1962 से प्रश्न-काल को निलम्बित किया जा सकता है (41वें सत्र के दौरान)। मंत्री ने इसके अनुसार एक घोषणा की।[49]

1965 में राज्य सभा के बजट प्राक्कलनों की छानबीन के लिए एक समिति नियुक्त करने के एक प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सभापति ने राज्य सभा में विभिन्न दलों/समूहों के नेताओं के साथ एक बैठक की।[50]

23 दिसम्बर, 1969 को सभापति की अध्यक्षता में विभिन्न दलों/समूहों के नेताओं की एक बैठक हुई जिसमें निर्णय किया गया कि आह्वान (समन्स) के तत्कालीन प्ररूप के स्थान पर उसके वर्तमान प्ररूप का अनुसरण किया जाए।[51]

उपसभापति के सुझाव पर 5 दिसम्बर, 1974 को सभापति के साथ दलों के नेताओं की एक बैठक हुई जिसमें पांडिचेरी लाइसेंस मामले के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने के लिए सदन में की गई मांग पर विचार किया गया।[52]

प्रश्न-काल के दौरान अंग्रेजी और हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं के प्रयोग के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में सभापति ने 8 और 27 मार्च, 1979 को दलों के नेताओं के साथ दो बैठकें कीं।[53]

3 अगस्त और 21 अगस्त, 1970 और 19 जून, 1980 को हुई बैठकों में ध्यानाकर्षण और विशेष उल्लेख से संबंधित प्रथा और प्रक्रिया पर विचार किया गया और इस बारे में निर्णय लिए गए। 15 सितम्बर, 1981 को हुई एक और बैठक में इस पर सहमति हुई कि किसी ध्यानाकर्षण से संबंधित सभी स्पष्टीकरणों का उत्तर मंत्री द्वारा अंत में दिया जाएगा।[54]

प्रश्न-काल को सुव्यवस्थित करने के लिए सभापति ने विभिन्न दलों/समूहों के नेताओं के साथ एक बैठक की।[55]

सत्र के आरंभ और समाप्ति पर राष्ट्रगान/राष्ट्रगीत की धुन बजाने के बारे में निर्णय करने के लिए नेताओं की एक बैठक हुई।[56]

20 अगस्त, 1995 की रात को कालिन्दी एक्सप्रेस और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के बीच हुई रेल दुर्घटना से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने की प्रक्रिया के बारे में निर्णय करने के लिए 21 अगस्त, 1995 को सदन के नेताओं की बैठक हुई।[57]

(x) कार्य मंत्रणा समिति में प्रतिनिधित्व: कार्य मंत्रणा समिति सदन द्वारा सरकारी और अन्य कार्यों के निष्पादन के लिए समय का आवंटन करती है। इस समिति में सभी प्रमुख दलों/समूहों का प्रतिनिधित्व होता है। चूंकि सभापति और उपसभापति सहित इस समिति में स्थानों की संख्या ग्यारह तक सीमित है इसलिए

इस समिति में प्रतिनिधित्व न पाने वाले मान्यता-प्राप्त समूहों के प्रतिनिधियों और साथ ही असंबद्ध/छोटे दलों के समूहों के संघ के प्रतिनिधियों को इस समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

(xi) केन्द्रीय कक्ष में पहली पंक्ति में सीट का आवंटन: राष्ट्रपति के अभिभाषण या अन्य महत्त्वपूर्ण अवसरों पर राज्य सभा में पांच या उससे अधिक सदस्य-संख्या वाले सभी मान्यता-प्राप्त दलों और समूहों के नेताओं को लोक सभा सचिवालय द्वारा केन्द्रीय कक्ष में पहली पंक्ति की सीटें आवंटित की जाती हैं।[58]

(xii) संसद में मान्यता प्राप्त पार्टियों/दलों के नेताओं, उपनेताओं और मुख्य सचेतकों को सामान्यत: निम्नलिखित टेलीफोन और सचिवालयी सुविधाएं दी जाती हैं:

(क) **टेलीफोन सुविधाएं:** मान्यता-प्राप्त-पार्टी अथवा दल का प्रत्येक नेता, प्रत्येक उपनेता और प्रत्येक मुख्य सचेतक को दिल्ली अथवा नई दिल्ली में उसके कार्यालय अथवा आवास पर एक टेलीफोन के प्रतिष्ठापन और रेंटल के संबंध में भुगतान नहीं देना होगा और इसी तरह से नेता, उपनेता और मुख्य सचेतक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान वह उस टेलीफोन से किए गए कॉल का भुगतान करने का उत्तरदायी नहीं होगा बशर्ते वह यह प्रमाणित करे कि उसके द्वारा ये कॉल्स ऐसे नेता, उपनेता और मुख्य सचेतक के रूप में कर्त्तव्य निर्वहन को लेकर किये गए थे। ये कॉल्स उन्हें संसद् सदस्य के रूप में ग्राह्य फ्री कॉल्स के अलावा होते हैं।

(ख) **सचिवालयी सुविधाएं:** मान्यता-प्राप्त पार्टी अथवा दल का प्रत्येक नेता, प्रत्येक उपनेता और प्रत्येक मुख्य सचेतक सचिवालयी सहायता के लिए निजी सचिव (ग्रेड III) के ग्रेड में एक आशुलिपिक पाने का हकदार होगा।[59]

तथापि, अधिनियमन के तहत् अनुमेय टेलीफोन और सचिवालयी सुविधाएं अस्थायी होती हैं और ये मान्यता-प्राप्त पार्टी अथवा दल के नेता, उपनेता अथवा मुख्य सचेतक के बतौर कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जाती हैं।

इसके अलावा ये सुविधाएं ऐसे नेता, उपनेता अथवा मुख्य सचेतक, जैसाकि मामला हो, को नहीं मिलेंगी जो मंत्री, विपक्ष के नेता का पद धारण किए हो अथवा अन्य किसी ऐसे अधिकारी को भी नहीं मिलेंगी जिसे सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तत्समान सुविधाएं दी गई हैं।

राज्य सभा में दलों की बदलती रहने वाली स्थिति

राज्य सभा के एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष के बाद निवृत्त हो जाते हैं और इस प्रकार रिक्त हुए स्थानों को भरने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा द्विवार्षिक चुनाव कराए जाते हैं। द्विवार्षिक चुनावों के कारण ही नहीं बल्कि उप-चुनावों के कारण भी राज्य सभा में दलों की स्थिति बदलती रहती है।

निम्नलिखित सारणियों में 1952 के वर्ष से उन राजनैतिक दलों की सदस्य-संख्या को दर्शाया गया है जिन्हें द्विवार्षिक रूप से राज्य सभा में प्रतिनिधित्व मिला है।

सारणी-I

राज्य सभा में विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा जीती गई सीटों की दल-वार संख्या

(वर्ष 1952-1976)

क्र॰ सं॰	दल का नाम	1952	1952-54	1954-56	1956-58	1958-60	1960-62	1962-64	1964-66	1966-68	1968-70	1970-72	1972-74	1974-76
1.	कांग्रेस	146	164	186	177	173	164	162	166	140	99	107	128	146
2.	कम्युनिस्ट	9	10	9	11	8	8	8	8	8	9	–	–	–
3.	सोशलिस्ट	6	6	3	8	11	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	जनसंघ	1	–	–	–	1	2	4	6	11	10	15	14	12
5.	स्वतंत्र	–	–	–	–	1	8	11	10	16	13	11	9	–
6.	कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस	4	4	4	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	के. एम. पी. पी.	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	गणतंत्र परिषद्	–	2	2	3	4	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	संयुक्त सोशलिस्ट	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	पी. एस. पी.	–	–	–	–	–	12	10	6	4	4	–	–	–
11.	कांग्रेस (ओ.)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42	25	14	7
12.	एस. एस. पी.	–	–	–	–	–	–	–	–	9	–	–	–	–
13.	सी. पी. आई.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	10	12
14.	एस. पी.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	3	2
15.	सी. पी. आई. (एम.)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	8	5
16.	डी. एम. के.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	10	9
17.	निर्दलीय	–	10	9	9	11	14	13	10	9	13	12	15	15
18.	नाम-निर्देशित	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11	12	11	8
19.	अन्य	36	11	7	10	9	16	14	16	21	36	18	21	24
20.	रिक्तियां	–	–	–	–	–	–	4	4	10	3	9	–	4
	कुल योग:	216	219	232	236	236	236	238	238	240	240	243	243	244

सारणी–II

राज्य सभा में विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा जीती गई सीटों की दल–वार संख्या (वर्ष 1976–1996)

क्र॰ सं॰	दल का नाम	1976–78	1978–80	1980–82	1982–84	1984–86	1986–88	1988–90	1990–92	1992–94	1994–96 (30 अक्तूबर, 1996)
1.	कांग्रेस	72	65	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	कांग्रेस (ओ.)	64	48	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	कांग्रेस (आई.)	–	–	124	152	159	141	108	99	95	85
4.	भा. ज. पा.	–	–	14	8	8	8	17	30	45	41
5.	सी. पी. आई.	11	9	5	5	6	3	3	6	6	5
6.	सी. पी. आई. (एम.)	5	8	14	13	12	15	17	16	14	15
7.	डी. एम. के.	3	3	4	3	3	3	10	9	8	–
8.	जनता पार्टी	42	70	14	9	9	20	–	–	–	–
9.	ए. आई. ए. डी. एम. के.	10	9	9	11	11	–	4	6	6	¢14
10.	जनता दल	–	–	–	–	–	–	38	27	28	23
11.	जनता दल (एस.)	–	–	–	–	–	–	–	14	5	–
12.	तेलुगु देशम	–	–	–	5	5	14	10	5	3	##8
13.	समाजवादी पार्टी	–	–	–	–	–	–	–	–	5	5
14.	निर्दलीय	20	15	9	6	6	2	2	5	8	7
15.	नामनिर्देशित	8	8	7	6	3	6	5	4	4	%%1
16.	अन्य	@8	#9	$43	%21	¢20	&28	*19	@@14	**13	$$15
17.	रिक्तियां	1	–	1	5	2	5	12	10	5	26
	कुल योग:	244	244	244	244	244	245	245	245	245	245

@ सम्मिलित: एम.एल., बी.के.डी., झारखण्ड, पी.डब्ल्यू.पी., आर.पी.पी., के.एम.बी.।

सम्मिलित: एम.एल., अकाली दल, आर.पी.आई., पी.डब्ल्यू.पी., आर.एस.पी., फॉरवर्ड ब्लॉक, पी.सी.।

$ सम्मिलित फॉरवर्ड ब्लॉक, के.सी., एम.एल., लोकतांत्रिक लोक दल, लोक दल, कांग्रेस एस., अकाली दल, आर.पी.आई. (खोबरागड़े), समाजवादी, यू.डी.एफ. (नागालैंड), एन.सी., डी.एस.पी., भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (एन्टोनी), आर.एस.पी.।

% सम्मिलित: नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, लोकदल (सी.), नेशनल कांफ्रेंस, के.सी., एम.एल., जनता (जी.), कांग्रेस (एस.), नागा नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, अकाली दल, जनवादी, एफ.बी., आर.एस.पी.।

¢ सम्मिलित: नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, लोकदल, नेशनल कांफ्रेंस, केरल कांग्रेस, एम.एल., जनता (जी.), कांग्रेस (एस.), नागा नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, अकाली दल, जनवादी, लोकदल (सी.), एफ.बी., आर.एस.पी.।

& सम्मिलित: ए.आई.ए.डी.एम.के.(I), ए.आई.ए.डी.एम.के.(II), ए.जी.पी.आर.एस.पी., अकाली दल, एफ.बी., एन.सी., एम.एल., केरल कांग्रेस, लोकदल, एस एस.पी.।

* सम्मिलित: ए.जी.पी., आर.एस.पी., एन.सी., जनता, लोकदल, अकाली दल, एम.एल., केरल कांग्रेस, एफ.बी., एस.एस.पी., इंडियन कांग्रेस (एस.), हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, शिव सेना।

@@ सम्मिलित: आर.एस.पी., नेशनल कांफ्रेंस, जनता पार्टी, असम गण परिषद्, नतून असम गण परिषद्, शिव सेना, मुस्लिम लीग, फॉरवर्ड ब्लॉक, एस.एस.पी., हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नागालैण्ड पीपुल्स काउंसिल।

** सम्मिलित: राष्ट्रीय जनता दल, फॉरवर्ड ब्लॉक, आर.एस.पी., असम गण परिषद्, शिव सेना, मुस्लिम लीग, हिल स्टेट पीपुल्स काउंसिल, डेमोक्रेटिक पार्टी, नागालैण्ड पीपुल्स काउंसिल, सिक्किम संग्राम परिषद्, बहुजन समाज पार्टी।

$$ सम्मिलित: शिव सेना, मुस्लिम लीग, फारवर्ड ब्लॉक, असम गण परिषद्, आर.एस.पी., तेलुगु देशम (III), केरल कांग्रेस (एम.), नागालैण्ड पीपुल्स काउंसिल, सिक्किम संग्राम परिषद्, बहुजन समाज पार्टी, ऑटोनॉमस स्टेट डिमांड कमेटी।

चन्द्रबाबू नायडू ग्रुप।

%% चार अन्य नामनिर्देशित सदस्य कांग्रेस (आई.) के हैं।

सारणी–III

राज्य सभा में विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा जीती गई सीटों का दल–वार ब्यौरा (वर्ष 1996–2004)

क्र॰ सं॰	पार्टी के नाम	1996–98	1998–2000	2000–2002	2002–2004 (जनवरी)
1.	भा. रा. कां.	65	57	58	64
2.	भा. ज. पा.	45	47	49	45
3.	भा. क. पा. (मा)	17	15	14	12
4.	तेलुगु देशम	11	13	13	13
5.	जनता दल	9	6	6	2
6.	समाजवादी पार्टी	9	9	9	9
7.	राष्ट्रीय जनता दल	9	10	7	8
8.	भा. क. पा.	7	6	6	5
9.	द्रमुक	7	9	9	7
10.	एआईएडीएमके	6	5	7	9
11.	शिव सेना	5	5	5	5
12.	शिरोमणी अकाली दल	5	5	5	4
13.	निर्दलीय	13	13	%14	Ø13
14.	नामनिर्देशित	@8	@@11	@@11	11
15.	अन्य	*29	**34	%%30	ØØ33
16.	रिक्तियां	–	–	2	5
	कुल:	245	245	245	245

@ तीन नामनिर्देशित सदस्यों का संबंध भा.रा.कां. से है और एक नामनिर्देशित सदस्य का संबंध समाजवादी पार्टी से है।

* इसमें बीजेडी, टी.एम.सी., जे. एण्ड के.–एनसी, एमएल, एफबी, एजीपी, एआईएडीएमके–II, एसएसपी, एएसडीसी, आरएसपी, एचवीसी, केरल कांग्रेस, जेएमएम, महाराष्ट्र विकास अघाडी, हरियाणा लोक दल (राष्ट्रीय), हरियाणा विकास पार्टी शामिल हैं।

@@ एक नामनिर्देशित सदस्य का संबंध समाजवादी पार्टी से है।

** इसमें बीएसपी, बीजेडी, टीएमसी (एम), जे. एण्ड के.–एनसी, आरएसपी, एमएल, एजीपी, जेएमएम, आईएनएलडी, एफबी, एएसडीसी, एचबीसी, केरल कांग्रेस, हरियाणा विकास पार्टी, एसडीएफ, समता पार्टी, आरपीआई, एनसीपी, एबीएलसी शामिल हैं।

% इसमें आरजेडी के तीन निष्कासित सदस्य शामिल हैं।

%% इसमें बीएसपी, बीजेडी, जे.एण्ड के.–एनसी, आरएसपी, टीएमसी (एम), एमएल, आईएनएलडी, एजीपी, एफबी, एएसडीसी, एचवीसी, केरल कांग्रेस, हरियाणा विकास पार्टी, समता पार्टी, आरपीआई, एनसीपी, एडीएफ शामिल हैं।

Ø इसमें किसी भी पार्टी से असंबद्ध एक सदस्य शामिल है।

ØØ इसमें बीजेडी, एनसीपी, आरएसपी, जे. एण्ड के.–एनसी, एजीपी, एचवीसी, एआईएफबी, केसी, आरपीआई, एबीएलसीपी, एआईआईसी, एमएनएफ, पीडीपी शामिल हैं।

टिप्पणियां और संदर्भ

1. संसदीय समाचार (2), 7.6.1980
2. फाइल सं॰ 19/80-टी
3. फाइल सं॰ 11/83-टी
4. फाइल सं॰ 11/90-टी
5. दसवीं अनुसूची, पैरा 2(1)(क) और स्पष्टीकरण (क)
6. -वही- पैरा 2(3)
7. -वही- पैरा 2(2)
8. संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003
9. दसवीं अनुसूची, पैरा 4(1)
10. -वही-
11. संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003
12. फाइल सं॰ 46/89-टी
13. -वही-
14. फाइल सं॰ 46/86-टी
15. फाइल सं॰ 46/88-टी
16. फाइल सं॰ आरएस॰ 46/89-टी
17. फाइल सं॰ आरएस॰ 46/90-टी
18. फाइल सं॰ आरएस॰ 46/91-टी
19. फाइल सं॰ आरएस॰ 46/92-टी
20. -वही-
21. फाइल सं॰ आरएस॰ 46/96-टी
22. -वही-
23. फाइल सं॰ आरएस॰ 46/98-टी
24. -वही-
25. फाइल सं॰ आरएस॰ 46/99-टी
26. फाइल सं॰ आरएस॰ 46/2001-टी
27. -वही-
28. फाइल सं॰ आरएस॰ 46/88-टी
29. फाइल सं॰ आरएस॰ 46/90-टी
30. फाइल सं॰ आरएस॰ 46/91-टी
31. फाइल सं॰ आरएस॰ 46/92-टी
32. फाइल सं॰ आरएस॰ 46/94-टी
33. -वही-

34. फाइल सं॰ आरएस॰ 46/97-टी
35. -वही-
36. -वही-
37. फाइल सं॰ आरएस. 46/98-टी
38. विधेयक के खंड 6 द्वारा दसवीं अनुसूची में पैरा 2(1)(ग) अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया।
39. फाइल सं॰ आरएस॰ 11/86-टी
40. फाइल सं॰ आरएस॰ 11/87-टी
41. फाइल सं॰ आरएस॰ 11/92-टी
42. फाइल सं॰ आरएस॰ 11/93-टी
43. फाइल सं॰ आरएस॰ 11/87-टी
44. फाइल सं॰ आरएस॰ 11/2002-टी
45. जर्नल ऑफ पार्लियामेंटरी इन्फॉर्मेशन, लोक सभा सेक्रेटेरिएट, मार्च, 1989
46. जी॰ विश्वनाथन **बनाम** स्पीकर, तमिलनाडु असेम्बली, एआईआर 1996 एससी 1060
47. राज्य सभा डिबेट्स, 9.12.1985, कॉलम 229-36
48. -वही- 13.11.1962, कॉलम 857-58
49. -वही- 26.11.1962, कॉलम 2206
50. -वही- 3.5.1966, कॉलम 80
51. फाइल सं॰ 1/4/69-एल
52. राज्य सभा डिबेट्स, 5.12.1974, कॉलम 174-75 और 182
53. -वही- 28.3.1979, कॉलम 18-19
54. संसदीय समाचार भाग (2), 23.5.1979, 3.7.1980 और राज्य सभा डिबेट्स, 15.9.1981, कॉलम 17-18
55. राज्य सभा डिबेट्स, 28.7.1980, कॉलम 1-3
56. -वही- 23.12.1992
57. -वही- 21.8.1995, कॉलम-167
58. कौल और शकधर: प्रैक्टिस एंड प्रोसीज़र ऑफ पार्लियामेंट, चौथा संस्करण, पृष्ठ 320
59. संसद् में मान्यता-प्राप्त दलों और गुटों के नेता और मुख्य सचेतक (सुविधाएं) अधिनियम, 1998 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम।